तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 02/2025
07.3.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 (बुधसिंह पुत्र पूनमसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड, मण्ड़ार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 (पूनमसिंह पुत्र भगसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड, मण्ड़ार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2024 को मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड, मण्ड़ार में प्रतिवादी बुधसिंह पुत्र पूनमसिंह जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2307, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्याः959F/FSSA/2024 दिनांक 23.10.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07.3.2025 को प्रतिवादी बुधसिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादी पूनमसिंह की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी बुधसिंह को सुना गया। जिसने यह व्यक्त किया कि उसके पिता प्रतिवादी पूनमसिंह जी घरेलु कार्य वश आज न्यायालय में उपस्थित नही हो पाये है। यह प्रतिवादीगण का पहली गलती है। अब ऐसी खाद्य सामग्री विक्रय नही करेंगे। अतः प्रकरण में कम जुर्माना कर आज ही निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 18.02.2024 को समय 01-00 पी. एम. पर मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड़, मण्ड़ार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी बुधसिंह पुत्र पूनमसिंह जी राजपुरोहित, निवासी- झाबरा, जिला- जैसलमेर उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) का विक्रय करता है। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड़, मण्ड़ार के निरीक्षण के दौरान जोधपुर स्वीट होम की दुकान में आम जनता के विक्रय हेतु स्टील की ट्रे में रखे हुए खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य ......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

F.S.S.Act Case No. 02/2025

तारीख हुक्म		

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी विक्रेता बुधसिंह को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड, मण्डार की दुकान के अन्दर स्टील की ट्रे में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) लगभग 8 किलोग्राम को हिला मिलाकर एकरुप किया एवं इस एकरुप किये हुय मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) में से 02 किलोग्राम मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली भिगोनें में कीमतन क्रय किया व उसकी कीमत राशि रुपये 600/– (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी बुधसिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाह को चार साफ, सूखी व खाली शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) को चारों शीशीयों में बराबर--बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक चारों नमूना शीशीयों में 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डाली तथा चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2307, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी बुधसिंह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना शीशीयों/नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.02.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीसिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 19.02.2024 को

.......लगातार

न्यायालय प्रति० जिला प्रतिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला प्रतिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

F.S.S.Act Case No. 02/2025

जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड, मण्डार में प्रतिवादी विक्रेता बुधसिंह से मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2307 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./246/Act/2024/292 दिनांक 04.03.2024 में खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी पूनमसिंह द्वारा मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2307 के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच करने हेतु अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर नमूना संख्या S-2307 के द्वितीय नमूना भाग को जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्याः 959F/FSSA/2024 दिनांक 23.10.2024 में खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2307, अमानक (Sub-standard) पाया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड़, मण्ड़ार, तहसील रेवदर, जिला– सिरोही के प्रोपराईटर प्रतिवादी पूनमसिंह पुत्र भगसिंह जी राजपुरोहित है। इस प्रकार, यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी पूनमसिंह की प्रोपराईटरी फर्म जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड़, मण्ड़ार में प्रतिवादी विक्रेता बुधसिंह द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) के विक्रय हेतु प्रतिवादी पूनमसिंह पुत्र भगसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, बस स्टेण्ड़, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी पूनमसिंह को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 15.04.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट

सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)